Statutory Resolution regarding approval for amending the First Schedule of Customs Tariff Act, 1975

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी): अध्यक्ष जी, अपने वरिष्ठ सहयोगी श्रीमती निर्मला सीतारमण की ओर से, मैं निम्नलिखित संकल्प पेश करता हूं:-

?सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 8क के अनुसरण में, यह सभा दिनांक 12 मार्च 2024 की अधिसूचना सं. 15/2024-सीमाशुल्क [सा.का.नि. 182 (अ), दिनांक 12 मार्च, 2024] को एतद्□द्वारा अनुमोदित करती है, जिसका आशय सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची में संशोधन करना है ताकि टैरिफ मद 9022 30 00 के अंतर्गत आने वाले एक्स-रे ट्यूब, और टैरिफ मद 9022 90 90 के अंतर्गत आने वाले फ्लैट पैनल डिटेक्टर्स (सिंटीलेटर्स सहित) पर आयात शुल्क में वृद्धि की जा सके।?

: प्रश्न यह है :

?सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 8क के अनुसरण में, यह सभा दिनांक 12 मार्च 2024 की अधिसूचना सं. 15/2024-सीमाशुल्क [सा.का.नि. 182 (अ), दिनांक 12 मार्च, 2024] को एतद्□द्वारा अनुमोदित करती है, जिसका आशय सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची में संशोधन करना है ताकि टैरिफ मद 9022 30 00 के अंतर्गत आने वाले एक्स-रे ट्यूब, और टैरिफ मद 9022 90 90 के अंतर्गत आने वाले फ्लैट पैनल डिटेक्टर्स (सिंटीलेटर्स सहित) पर आयात शुल्क में वृद्धि की जा सके।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

12.24 hrs